

अत्यावश्यक
पंचायत उप-निर्वाचन, 2023



राज्य निर्वाचन आयोग,
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

पत्र संख्या - पं.नि. 30-15/2023 - 1823

प्रेषक,

मुंकेश कुमार सिन्हा,

सचिव,

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)

पटना, दिनांक - 23/5/2023

विषय : पंचायत उप निर्वाचन, 2023 : मतगणना केन्द्रों पर विडियो रिकॉर्डिंग कराने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि संबंधित जिसे के वैसे सभी प्रखंड जिनमें चार पद यथा जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, ग्राम पंचायत एवं ग्राम कचहरी सरपंच का निर्वाचन कराया जा रहा है उन सभी प्रखंड के लिए मतगणना क्रम में ई.वी.एम. से प्राप्त हो रहे आँकड़ों का वेब रिकॉर्डिंग हेतु एजेंसी का चयन किया गया है, जिनके द्वारा वैसे सभी प्रखंड में एक-एक वेब कैमरा अधिष्ठापित किया जायेगा।

उक्त सन्दर्भ में आयोग का निदेश है कि -

(क) जिस प्रखंड में जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, ग्राम पंचायत एवं ग्राम कचहरी सरपंच पद का मतगणना होना है वहाँ मतगणना हॉल में मतगणना हेतु निर्धारित टेबुल के अतिरिक्त एक टेबुल पर वेब कैमरा अधिष्ठापित किया जायेगा जिससे उस प्रखंड के सभी पदों के ई.वी.एम. (ग्राम पंचायत सदस्य एवं ग्राम कचहरी पंच सहित) का पदवार वेब रिकॉर्डिंग किया जायेगा। इस रिकॉर्डिंग को सुरक्षित रखा जायेगा ताकि न्यायालय में याचिका दायर होने की स्थिति में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सके।

(ख) वेब कैमरा अधिष्ठापित कराये जाने हेतु एक **नोडल पदाधिकारी** प्रतिनियुक्त की जाये जिनसे समन्वय स्थापित कर एजेंसी के कर्मों द्वारा वेब कैमरा अधिष्ठापित किया जायेगा।

(ग) जिस प्रखंड में केवल ग्राम पंचायत सदस्य एवं ग्राम कचहरी पंच के लिए मतगणना होना है वहाँ प्रत्येक ई.वी.एम. का पद के अनुसार विडियो रिकॉर्डिंग की व्यवस्था की जाये जो ई.वी.एम. के सी.यू. पर प्रदर्शित हो रहे आँकड़ों को साफ-साफ रिकॉर्डिंग कर सके। इस रिकॉर्डिंग को भी सुरक्षित रखा जायेगा ताकि न्यायालय में याचिका दायर होने की स्थिति में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सके।

(घ) उक्त के अतिरिक्त सभी मतगणना केन्द्र/स्थल पर विधि व्यवस्था एवं संबंधी अन्य गतिविधि को रिकॉर्डिंग करने हेतु अलग से विडियो रिकॉर्डिंग की व्यवस्था की जाय।

अनुरोध है कि तदनुसार कार्रवाई की जाय एवं तत्संबंधी निदेश से संबंधित निर्वाची पदाधिकारी एवं सहायक निर्वाची पदाधिकारी के साथ-साथ सभी संबंधित को अवगत कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

22/5/23
सचिव।

ज्ञापांक - पं.नि. 30-11/2023 - 1823

पटना, दिनांक - 23/5/2023

प्रतिलिपि, आई.टी. मैनेजर को आयोग के वेबसाईट पर पत्र अपलोड कराने हेतु प्रेषित।


सचिव।

ज्ञापांक - पं.नि. 30-11/2023 - 1823

पटना, दिनांक - 23/5/2023

प्रतिलिपि, सभी प्रमण्डलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सचिव।

ज्ञापांक - पं.नि. 30-11/2023 - 1823

पटना, दिनांक - 23/5/2023

प्रतिलिपि, अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सचिव।